



C. R. B. 151-

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश:

प्रकरण क्रमांक 149 निगरानी. R 250 II/97

- १- मूलचन्द आत्मज कौदा जी आयु ७० वर्ष.
 - २- भागीरथ आत्मज कौदा जी आयु ६५ वर्ष.
 - ३- रामप्रसाद आत्मज कौदा जी आयु ५६ वर्ष.
- समस्त बन्धा कृषि, निवासीगण ग्राम टोक कला
तेहसील टोक खुर्द जिला देवास : म०प्र०.

--- निगरानीकृत प्राथमिण.

विरुद्ध.

- १- सालागराम आत्मज जगन्नाथ जी जाति साती.
 - २- रणछोड़ आत्मज जगन्नाथ जी जाति साती.
 - ३- रामप्रसाद आत्मज जगन्नाथ जी जाति साती.
 - ४- जगन्नाथ आत्मज ह्रीता जी जाति साती.
- समस्त निवासीगण ग्राम टोककला तेहसील टोकखुर्द
जिला देवास : म०प्र०.

----- प्रतिप्रा

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता के न्यायालय एस०सी०पाठक अपर आयुक्त उर्जेन समाग के प्रकरण क्रमांक ६४।८१-८२ अपील द्वितीय आदेश दिनांक २७।८।६७ से असन्तुष्ट होकर अन्दर अवधि माननीय न्यायालय प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकृतगण की ओर से

माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है. :-

१।-

प्रकरण के तथ्य.

52

२५.- II

श्री मुकुन्द खेलापुरकर 15.9.97
अभिभावक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत
बलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

M. Belapurkar
15-9-97

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 250-दो/1997

जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-11-2015	<p>उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। इस प्रकरण में पेशी दिनांक 14-2-06 की आदेश पत्रिका पर आवेदक क्रमांक 1 मूलचन्द की मृत्यु की जानकारी एवं अनावेदक क्रमांक 4 जगन्नाथ के फौत होने बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदक अभिभाषक को आवेदक क्रमांक 1 एवं अनावेदक क्रमांक 4 के वारिसों की जानकारी पेश करने के आदेश दिये गये थे। इसके पश्चात कुल 48 पेशीयां एवं 7 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी आवेदक अभिभाषक द्वारा मृत आवेदक क्रमांक 1 एवं अनावेदक क्रमांक 4 के वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण अवैट किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p></p> <p>(डॉ० मधु खरे) सदस्य</p>	